

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 181/2024



संजय पुत्र सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी 12 एमजेडी पिलानियां वाली ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)

-वादी

बनाम

1. सुभाषचन्द्र पुत्र गुरदेव सिंह
2. सरोज पुत्री सुभाष चन्द्र
3. पूनम पुत्री सुभाष चन्द्र
4. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

जाति जाट निवासीगण 12 एमजेडी पिलानिया वाली ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)

-प्रतिवादीगण

वाद पत्र अं० धारा 88 आर.टी.ए.

दिनांक :- 5.6.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीणा (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री बन्दुश बिश्नोई अभिभाषक वादी मिन जामिन मुदई व श्री कैलाश सिंवल अभिभाषक प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि वाद वादी निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि चक 12 एम.जे. डी. जमाबन्दी संवत 2070-2073 जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2022) से स्थागी के खाता संख्या 136/113 एकल खाता सुभाष में दर्ज कुल खाता 3.796 है. नहरी मय गैर मुमकिन कृषि भूमि में से 1.265 है. का वादी संजय को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 सुभाष चन्द्र का हिस्सा इसी कदर कम किया जावे।

नोट :-यदि डिक्रीत वादी/ प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन है तो रहन यथावत रखते हुए अमल दरामद किया जावे।

निज निल मुब्लिक निल बाबत निल खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक को अदा करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री बसबत मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 5.6.2024 को जारी किया गया।

(राकेश कुमार मीणा)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया